प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा सरकार के सभी विभाध्यक्ष ।
2. हरियाणा राज्य में सभी मण्डल आयुक्त।
3. हरियाणा राज्य में सभी उपायुक्त।

यादि कमांक 19/17/2019-6 स्था -II

दिनांक, चण्डीगढ़ 28.5.19

विषयः- **हरियाणा सिविल सचिवालय में स्थानान्तरण आधार पर नलसाज (Plumber) के पद को भरने हेतु।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. हरियाणा सिविल सचिवालय में नलसाज के एक रिक्त पद हेतु नियमित आधार पर कार्यरत नलसाजों में से वेतन Level-4 of Haryana Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 (having initial 1st Cell of Rs. 25,500)+ 40 /- विशेष वेतन में स्थानान्तरण आधार पर भरा जाना प्रस्तावित है जो कि इस विभाग के प्रारूप सेवा नियम व सरकार की समय-समय पर जारी हिदायतों अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं व शर्तें पूर्ण करता हो :-

i) Matriculation from recognized Board.
ii) Hindi upto Matric Standard
iii) Diploma or certificate in plumbing from ITI and one year practical experience in a trade

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग/कार्यालय में आपके अधीन कार्य कर रहे नलसाजों में से जो दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर रहे हो, कर्मचारी हरियाणा सिविल सचिवालय में स्थानान्तरण आधार पर नलसाज के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हों और उक्त वर्णित योग्यताएँ एवं अनुभव व शर्तें पूर्ण करते हों उनके आवेदन पत्र अपनी सिफारिश सहित निम्न हस्ताक्षरकर्ता, कमरा नं. 38, पॉचवी मजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय (स्थापना-II शाखा में) को निम्नलिखित ब्यौरा देते हुए दिनांक 16.06.2019 तक अवश्य भेज देवें :-

नाम	नलसाज के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि व सेवा अवधि	स्थाई अथवा अस्थाई	शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र सहित)	भर्ती का माध्यम
1.	2.	3.	4.	5.

कृपया इच्छुक कर्मचारियों के आवेदन पत्र भेजते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जिन कर्मचारियों के आवेदन पत्र भेजे जायें, उनके विरूद्ध कोई शिकायत अथवा जॉच व हरियाणा सिविल सेवायें (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1987 के नियम 7 तथा 8 के तहत व अन्य अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला विचाराधीन/लम्बित न हो और उनका गोपनीय रिकार्ड 70 प्रतिशत अच्छा या इससे बेहतर स्तर का हो तथा उनकी ईमानदारी भी सन्देहजनक न हो। सम्बन्धित कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट फाईल उसकी सांख्यांकित समरी सहित भी आवेदन के साथ भेजें तथा आवेदन पत्र सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के माध्यम से ही भेजे जाए। कर्मचारी के सीधे आवेदन पर विचार नही किया जाएगा।

नोटः- जो कर्मचारी सचिवालय में नलसाज के पद की निर्धारित योग्यताएँ अन्य शर्तें पूर्ण न करते हों उनके नामों की सिफारिश न की जाए ।

अधीक्षक, स्थापना शाखा-II,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।